क्रमांकः प. 3 (1) वित्त/साविलेनि/2020 जयपुर, दिनांक : 28.9.2020

समस्त लेखा संवर्ग के अधिकारी।

विषय : लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों के संबंध में सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) एवं उनके उत्तर पर सुझाव/टिप्पणी हेतु।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) एवं उनके उत्तर तैयार कर उनका प्रारूप संलग्न कर निवेदन है कि प्रारूप का अध्ययन कर इनके संबंध में आपके सुझाव एवं टिप्पणी से अधोहस्ताक्षरकर्ता को ई–मेल "jsfgt@rajasthan. gov.in" पर दिनांक 09.10.2020 तक सूचित करावें ताकि इन सुझावों/टिप्पणी पर विचार कर उक्त FAQ को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित कराया जा सके।

संलग्नः उपरोक्तानुसार FAQs

(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग को वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु।

संयुक्त शासन सचिव

PUBLIC WORKS FINANCIAL & ACCOUNTS RULES PART-I

Frequently Asked Question
(अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)

Q.1	PWF&AR का वर्तमान में प्रचलित IV Edition कब से प्रभावी है?
Ans.	दिनांक 01.07.1999 से।
Q.2	PWF&AR - IV Edition के कुल कितने भाग हैं?
Ans.	कुल तीन भाग हैं। भाग–I : में मुख्य नियम (नियम 1 से 762) भाग–II : में परिशिष्ट (परिशिष्ट I से XVI) भाग–III : में RPWA प्रपत्र (RPWA 1 to 115)
Q.3	PWF&AR - IV Edition के प्रकाशन दिनांक 1.7.1999 के बाद अभी तक कितने संशोधन आदेश/परिपत्र जारी हो चुके हैं।
Ans.	दिनांक 17.8.2020 तक कुल 77
Q. 4	इन नियमों की प्रभावशीलता की क्या सीमा है?
Ans.	ये नियम, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों तथा कोषागार नियमों में अन्तर्विष्ट उन सामान्य नियमों के पूरक हैं जो लोक निर्माण विभागों पर तब तक लागू होते हैं जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरूद्ध न हो या उस सीमा तक लागू होते हैं जिस सीमा तक से नियम इस खण्ड में नियमों द्वारा उपान्तरित कर दिये गये हैं।
Q.5	इन नियमों की व्याख्या (निर्वचन) की शक्तियां किसे प्राप्त हैं?
Ans.	इस खण्ड के नियमों का निर्वचन (व्याख्या) करने की शक्ति वित्त विभाग को प्राप्त है।
Q.6	PWF&AR/GF&AR/RTPP Act-Rules तथा RTR के प्रावधानों की परस्पर स्थिति क्या है?
Ans.	(क) यदि किसी विषय पर लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों में पृथक उपबंध किये गये हों तो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के उपबंध लागू नहीं होंगे। (ख) यदि किसी विशेष बिंदु पर लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों में कोई विनिर्दिष्ट उपान्तरण किया गया है तो वह सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के उपबंधों पर अभिभावी होगा। (ग) यदि किसी विशेष बिंदु पर लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम शांत हैं तो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम लागू होंगे।

	(घ) यदि लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों और कोषागार नियमावली/ कोषागार नियमों में कोई विरोधाभास हो तो बाद वाले अभिभावी होंगे। (ड.) यदि लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों और RTPP Act/Rules में कोई विरोधाभास हो तो बाद वाले अभिभावी होंगे।
Q.7	''विभाग'', ''लोक निर्माण विभाग'' तथा ''अभियांत्रिकी विभाग'' से क्या आशय है?
Ans.	जब तक संदर्भ से प्रतिकूल सुव्यक्त न हों, इस पद में समस्त अभियांत्रिकी विभाग सम्मिलित हैं। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि इन नियमों में, जब तक विनिर्दिष्ट रूप से अन्यथा वर्णित न हो, शब्द 'विभाग', 'लोक निर्माण विभाग', 'अभियांत्रिकी विभाग' जहां कहीं भी आए हों, उनमें लोक निर्माण विभाग, सिंचाई और बहुद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं सहित सिंचाई विभाग(जल संसाधन विभाग), जन स्वा. अभि. विभाग, इंदिरा गांधी नहर विभाग सम्मिलित हैं।
Q.8	प्रशासनिक स्वीकृति से क्या आशय है?
Ans.	(1) **मूल** : प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए (छोटे–छोटे निर्माण कार्यों और मरम्मत को छोडकर) प्रथमतः निर्माण कार्य की अपेक्षा करने वाले प्रशासनिक विभाग के सक्षम प्राधिकारी की सहमति प्राप्त करना आवश्यक है। निर्माण कार्य के लिए तकनीकी अनुमान अग्रिम रूप से तैयार किये जाने हैं और प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव के साथ प्रशासनिक विभाग को भेजे जाने होंगे। उस प्राधिकारी द्वारा प्रस्ताव की औपचारिक स्वीकृति को निर्माण कार्य का 'प्रशासनिक अनुमोदन' कहा जाता है और निर्माण कार्य की अपेक्षा करने वाले विभाग के स्थानीय अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे इस पर अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करें। लगभग अनुमान और ऐसे प्रारंभिक प्लान जो प्रस्ताव पर प्रकाश डालते हों, सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्राप्त करने चाहिए। इस नियम में विहित प्रक्रिया, मूल रूप से अनुमोदित प्रस्तावों के उपांतरणों, यदि ऐसे उपांतरणों के कारण पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन आवश्यक हो जाये, को और मूल प्रस्तावों से तात्विक विचलन को भी लागू होंगे चाहे उसकी लागत अन्य मदों पर बचत द्वारा पूरी कर ली जाये। ऐसे निर्माण कार्यों के संबंध में, जो किसी विशिष्ट विभाग के लिए अपेक्षित न होकर आम जनता के हित के हों जैसे सडकें और पुल, सिंचाई निर्माण कार्य और प्रकीर्ण सुधार, तकनीकी स्वीकृति के प्रयोजन के लिए विस्तृत अनुमान तैयार किये जाने के पूर्व प्रारंभिक डिजाइनों और अनुमानों के प्रस्तुतीकरण और संवीक्षा के बारे में आवश्यक नियम सिंचाई, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा लो. नि. वि. की विभागीय नियमावलियों में मिलेंगे। (2) **पुनरीक्षित** : जब किसी निर्माण कार्य पर व्यय उसके लिए प्रशासनिक रूप से अनुमोदित रकम से 10 प्रतिशत से अधिक हो जाता है या अधिक होने की संभावना है, या जहां मूल प्रस्तावों से तात्विक विचलन होता है, चाहे उसकी लागत अन्य मदों पर की बचत से पूरी हो जाने की संभावना हो, तो इस प्रकार बढी हुई लागत के अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी से पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।

Q.9	वित्तीय स्वीकृति से क्या आशय है?
Ans.	वित्तीय स्वीकृति से नियम 284 में निर्दिष्ट सभी वृहत् निर्माण कार्यों के लिए प्रस्तावित व्यय और एकमुश्त प्रावधान के प्रति अवशिष्ट के लिए सरकार के वित्त विभाग की विनिर्दिष्ट सहमति अभिप्रेत है। अन्य सभी मामलों में, निधियां के विनियोजन या पुनर्विनियोजन (नियम 290 देखें) का कार्य संबंधित व्यय की स्वीकृति के रूप में प्रवर्तित होता होगा। वित्तीय स्वीकृति, जहां आवश्यक हो, प्राप्त करने का कर्तव्य निर्माण कार्य की अपेक्षा करने वाले विभाग का होता है। उस रकम से, जिसके लिए वित्तीय स्वीकृति दी गयी है, अधिक किसी भी रकम के लिए पुनरीक्षित वित्तीय स्वीकृति अपेक्षित है जिसके लिए, ज्यों ही ऐसे आधिक्य का पूर्वानुमान हो, संबंधित प्रशासनिक विभाग के माध्यम से यथाशीघ्र आवेदन करना चाहिए। स्वीकृतियां शीघ्र देने की दृष्टि से, निर्माण कार्यों के लिए प्रशासनिक अनुमोदन और वित्तीय स्वीकृति वित्त विभाग की अनुज्ञा से साथ–साथ दी जा सकेगी।
Q.10	तकनीकी स्वीकृति से क्या आशय है?
Ans.	विस्तृत तकनीकी अनुमान तैयार करने के पूर्व निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करना चाहिए : 1. संदर्भ बैंच अंक स्थापित किये जाने चाहिये। 2. विस्तृत सर्वेक्षण और अनुसंधान किये जाने चाहिए और कार्यचालन डिजाइनें/रेखांक तैयार करने चाहिए। 3. ऐसी प्रणालियों को, जो एक यूनिट के रूप में कार्य करती हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा समग्र प्रणाली के रूप में स्वीकृत किया जाना चाहिए। नीचे के स्तर पर स्वीकृत करने हेतु इनके टुकडे नहीं किये जाने चाहिए। छोटे–छोटे कार्यों और छोटी–छोटी मरम्मतों, और ऐसी मरम्मतें जिनके लिए नियम 320 के अधीन अधीक्षण अभियंता द्वारा एक मुश्त प्रावधान स्वीकृत किये गये हैं, के सिवाय किये जाने के लिए प्रस्तावित प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए समुचित रूप से ब्यौरे देते हुए अनुमान सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किये जाने के लिए तैयार किया जाना चाहिए। यह स्वीकृति अनुमान के लिए तकनीकी स्वीकृति के रूप में जानी जाती है। निर्माण कार्य के लिए निविदाएं केवल तकनीकी स्वीकृति जारी होने के पश्चात् ही आमंत्रित की जायेंगी और इसके प्रति निर्देश निविदाएं आमंत्रित करने के नोटिस में दिया जायेगा। जैसे कि इसके नाम से उपदर्शित होता है, यह इस बात की प्रतिभूति के अलावा कुछ भी नहीं है कि प्रस्ताव आधारभूत रूप से ठोस हैं और अनुमानों की संगणना त्रुटिहीन है और पर्याप्त आंकडों पर आधारित है। तकनीकी स्वीकृति के अन्तर्गत, 50 लाख रुपये से अधिक की तकनीकी स्वीकृति वाले या 18 मास से अधिक की कालावधि वाले निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए एक पर्ट (कार्यक्रम, मूल्यांकन और पुनर्विलोकन तकनीक) चार्ट आता है। इससे विलंब के कारणों का विश्लेषण करने में भी सुविधा रहेगी। ऐसी स्वीकृतियां

	सार्वजनिक निर्माण विभाग के ऐसा करने के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रदान की जायेंगी। किन्हीं छोटे–छोटे कार्यों से भिन्न किसी मूल निर्माण कार्य के मामले में, योजनाओं और अनुमानों पर, उस स्थानीय विभागाध्यक्ष के, जिसकी ओर उसका निष्पादन प्रस्तावित है या उससे निम्न हैसियत के ऐसे अन्य अधिकारी के, जिसको उस पर प्रशासनिक अनुमोदन करने के लिए सशक्त किया गया है, प्रतिहस्ताक्षर, पश्चात्वर्ती के लिए तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के पूर्व, उनको स्वीकार करने के प्रतीकस्वरूप प्राप्त करने चाहिए। यदि तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के पश्चात् तात्विक आधारभूत परिवर्तन अनुध्यात हों तो मूल स्वीकृति प्राधिकारी के आदेश प्राप्त किये जाने चाहिए चाहे परिवर्तनों से कोई अतिरिक्त व्यय न होता हो। पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति के लिए, परिशिष्ट XIII की मद 5 के साथ नियम 368 देखें।
Q.11	निर्माण विभागों के कार्यों का मुख्य वर्गीकरण क्या है?
Ans.	विभाग की संक्रियाओं को मूल रूप से दो वर्गों अर्थात् 'मूल निर्माण कार्य' और 'अनुरक्षण/मरम्मत' में विभाजित किया गया है जिनको पुनरीक्षित लेखा वर्गीकरण के अधीन 'निर्माण' और 'अनुरक्षण और मरम्मत' कहा गया है। मूल कार्य की परिभाषा नियम 11 (37) तथा मरम्मत की परिभाषा नियम 11 (47) पर दी गयी है। नियम 282
Q.12	निर्माण विभाग के कार्यों को कितने भागों में विभाजित किया गया है?
Ans.	निर्माण कार्यों को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है अर्थात्– 1. छोटे–छोटे निर्माण कार्य अर्थात् जिनकी लागत 4.00 लाख रुपये से अधिक न हो। 2. लघु निर्माण कार्य अर्थात् जिनकी लागत 4.00 लाख रुपये से अधिक हो किन्तु 5.00 करोड रुपये से अधिक न हो, और 3. वृहत् निर्माण कार्य जिनकी लागत 5.00 करोड रुपये से अधिक हो।
Q.13	निर्माण विभागों द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कार्यों की मूलभूत आवश्यकता क्या है?
Ans	(क) किसी निर्माण कार्य की किसी परियोजना से संबद्ध चार मुख्य चरण होते हैं अर्थात् प्रशासनिक अनुमोदन, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति और निधियों का विनियोजन या पुनर्विनियोजन। (ख) निर्माण कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी स्वीकृति तथा बाद में बजट आवंटन के बिना प्रारंभ नहीं किया जाना चाहिए। तथापि प्रारंभिक कार्यों जैसे सर्वेक्षणों, अन्वेषणों, परामश्री सेवाओं सहित विस्तृत डिजाइन/रेखांक, भू–अवाप्ति पर व्यय उपगत करने के लिए स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी जा सकेगी। प्रत्येक विभाग में ऐसे निर्माण कार्यों के लिए पृथक् बजट प्रावधान उपलब्ध होने चाहिए। सभी तकनीकी और कार्यकरण ब्यौरे निकालने के पश्चात्

	और सर्वेक्षण तथा अन्वेषण के पूर्ण होने, कार्यकरण रेखांक/डिजाइन बन जाने पर विस्तृत तकनीकी अनुमान तैयार किये जायें और स्वीकृत कराये जायें। विस्तृत अन्वेषण कराने और डिजाइन/रेखांक तैयार कराने में, जहां आवश्यक हो, परामर्शदात्री एजेन्सियों की सेवाऐं ली जा सकेंगी। विस्तृत तकनीकी अनुमानों की स्वीकृति के पश्चात्, तकनीकी स्वीकृति की एक प्रति के साथ बजट आवंटन के लिए आवेदन करना चाहिए।
Q.14	निर्माण कार्यों हेतु किये जाने वाले अनुबंध कितने प्रकार के हैं?
Ans.	Percentage Rate Contract RPWA-100 Item Rate Contract RPWA -101 Lump sum Contract RPWA - 102 (नियम 322)
Q.15	राज्य सरकार की ओर से अनुबंध करने वाले अधिकारियों को ध्यान रखने योग्य प्रावधान क्या है?
Ans.	सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग–। के नियम 19 में दिशा–निर्देश दिये गये हैं।
Q.16	Lump sum contract से संबंधित नियम क्या है?
Ans.	नियम 378, 379, 512 तथा 526 (नियम 324)